प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 02455/2025-2026 दिनांक 28/02/2026

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/KOS/20917/2025-2026 पत्रावली संख्या:AL-20364 दिनांक:2005-2006

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **KARUNA WELFARE AND DEVELOPMENT SOCIETY, SINGHIYA, BHARWARI, KAUSHAMBI, कौशाम्बी, 212202** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 692/2005-2006 दिनांक-28/10/2005 को दिनांक-28/10/2025 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1200 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(Manoj Kumar)
D43F1F16C6EB0C5B85304402DEF6A565BF5AB05D
Date: 28/02/2026 5:25:44 PM, Location: Prayagraj.

जारी करने का दिनांक-28/02/2026

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य हैं| इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है| इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा|

: : स्मृति–पत्र : :

1. संस्था का नाम : करुणा वेलफेयर एण्ड डेवलपमेंट सोसाइटी, [illegible]
2. संस्था का पता : ग्रा0–सिंधिया पो0–मरवारी कौशाम्बी
3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष
4. संस्था का उद्देश्य :

1. सामाजिक विकास एवं कल्याण हेतु शिक्षा जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान करना एवं शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना तथा शिक्षा के बहुमुखी विकास हेतु प्राईमरी विद्यालय से लेकर स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, पुस्तकालय एवं वाचनालय खोलना और कृषि शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, इलेक्ट्रानिक शिक्षा, सांस्कृति एवं संगीत शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि के शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलना और उनका संचालन करना।
2. बालक, बालिकाओं, शिशुओं, महिलाओं और प्रौढ़ो के सांस्कृतिक और शारीरिक विकास हेतु क्रीडांगन, व्यायामशालाओं, विकलांग गृहो, भिक्षुक कल्याण केन्द्रों अनाथालय, शिशुगृहो एवं महिला गृहोआदि की स्थापना एवं संचालन । महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी कार्यो को संचालित करना।
3. महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निराश्रित महिला कल्याण केन्द्रों, नारी निकेतनों, शिल्प कला केन्द्रो, सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, नृत्य एवं गायन आदि के शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रो को खोलना तथा संचालित करना।
4. एड्स के विषय में जन साधारण को अवगत कराते हुए एड्स से बचाव के उपाय हेतु कार्यक्रमों एवं गोष्ठियों का आयोजन एवं प्रचार प्रसार करना तथा राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का कियान्वयन व संचालन करना।
5. ग्रामीण क्षेत्रो में बालक, बालिकाओं, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं प्रौढ़ो को कुपोषण से बचाव, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सेवा इत्यादि हेतु निःशुल्क सुविधाए प्रदान कराना। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सचालित सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं निःशुल्क सुविधाए प्रदान कराना।
6. ग्रामीण अचंलो में निवास करने वाले गरीबो, निर्धनो, दलितों, आदिवासीयों, जन जातियों, पिछड़ी जातियां, अल्प संख्यको, विकलांगो मूक बधिरों, विधवाओं कारीगरो एवं नियुक्तो और श्रमिको को आत्म निर्भर बनाने हेतु समाज कल्याण, दलित कल्याण अल्प संख्यक कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोजन एवं प्रचार प्रसार करना।
7. ग्रामीण क्षेत्रो में बुनियादी खेल सुविधाए उपलब्ध कराना। महिलाओं में खेल का प्रसार करना एवं [illegible] के बारे में जागरूकता पैदा करना । पिछड़ी जातियों, दलितों, अल्पसंख्यको एवं आदिवासियों के वर्गो में खेलों के प्रति रूचि उत्साह एवं जागरूकता पैदा करना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों को संचालित करना।
8. विभिन्न प्रकार के [illegible] प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं अध्ययन से सम्बन्धित परियोजनाओं को संचालित करना।
9. विदेशी संस्थाओं के सहयोग से अनुसंधात्मक, विकासात्मक रचनात्मक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालित करना।
10. नशाखोरी, नशीली वस्तुओ एवं नशीले पदार्थो का उन्मूलन व निषेध कराने का प्रयास करना।
11. राष्ट्रीय स्वच्छता एवं जल प्रदूषण रोकने हेतु कार्य करना तथा स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करना।
12. संस्था का उद्देश्य कार्यक्षेत्र के ग्रामों में स्वालम्बन की भावना जागृत करते हुए उनका समग्र विकास करना।
13. निःशक्त व्यक्तियों की भिन्न–भिन्न श्रेणियों के लिये शैक्षिक / व्यवसायिक प्रशिक्षण और पुर्नवासन योजनायें , सहायक उपकरणों से निःशक्त व्यक्तियों की सहायता की योजना।

सत्य प्रतिलिपि

कुष्ठ रोग , एड्स से मुक्त कराने एवं उनके पुनर्वासन के लिये योजनायें बनाना तथा किसी प्रकार से शिक्षा न प्राप्त कर सकने वाले असहाय विद्यार्थियों के लिये सम्पूर्ण व्यक्तियों एवं संस्थाओं आदि से उन्हें सहायतार्थ दान, अनुदान, ऋण द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान कराने की व्यवस्था करना , जिससे मेधावी एवं प्रतिभाशाली छात्र अपनी हर प्रकार की शिक्षा पूरी कर सकें। समाजिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों , सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्र वृत्तियां प्राप्त करने हेतु योग्य बनाने के लिये प्रशिक्षण एवं सहयोग देना तथा जागरुकता पैदा करना।

14. संस्था के कार्यक्षेत्रा में आने वाले निर्धनों, बाल बंधुआ एवं बंधुआ मजदूरों, श्रमिकों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों, विकलांगों एवं निराश्रितों को आत्म निर्भर बनाते हुए निःशुल्क शिक्षण, प्रशिक्षण, आवास, भोजन परिवार परक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा उनका संचालन करना तथा इनके लिए निःशुल्क चिकित्सा एवं शिविरों का आयोजन कर परिवार नियोजकों को बढ़ावा देना, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सचल औषधालयों की व्यवस्था करना तथा गरीब छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था करना उनका संचालन करना।

15. ट्राइसेम, डवाकरा, उद्यमिता विकास, नेहरु रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती योजना इत्यादि रोजगार पूरक प्रशिक्षण, शिक्षण देकर युवाओं को आत्म निर्भर बनाने तथा बैंक हर्डेड/फारवर्डेड की जानकारी देना तथा जनहित, कुष्ठ एवं संक्रामक रोगों से ग्रस्त निराश्रित व्यक्तियों की निःशुल्क चिकित्सा एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना।

16. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सम्बन्धी कार्यक्रमों को सम्पादित करना, उनके लिए चेरिटेबिल अस्पताल, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र व जच्चा बच्चा केन्द्र, शिविर का आयोजन कर टीकाकरण, स्वास्थ्य, जांच तथा उपचार तथा प्राकृतिक परिवार कल्याण केन्द्र इत्यादि कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार करना, भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार करना।

17. भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना जिसमें सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय समाज कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय कपार्ट, इत्यादि केन्द्र/राज्य के मंत्रालयों तथा उनसे सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। कार्य क्षेत्र में राज्य/केन्द्र सरकार तथा उनके विभागों/अनुभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सेतु का कार्य करना इसके लिए केन्द्र/राज्य से दान-अनुदान तथा ऋण प्राप्त करना।

18. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग द्वारा ग्रामीण कुटीर उद्योग को स्थापना करके क्षेत्रीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। क्षेत्रा के लोगों में स्वावलम्बन एवं आत्म निर्भरता की भावना उत्पन्न करते हुए उन्हें खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड की तकनीकी नीतियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुए प्रशिक्षण केन्द्र खोलना ग्रामोपयोगी इकाईयों की स्थापना कर उत्पादन व बिक्री का कार्य करना। समस्त आय को संस्था के उद्देश्यपूर्ति व चेरिटेबिल कार्यों में व्यय करना।

19. लोगों को अल्प बचत कार्य के प्रति प्रेरित करना तथा स्व-रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करना। सेल्फ-हेल्प ग्रुप (स्व-सहायता समूह) गठित करके अल्प बचत योजना को बढ़ावा देना तथा सामूहिक/व्यक्तिगत कुटीर उद्योग/इनकम जनरेटिंग कार्यक्रम के लिए प्रेरित करना। इसके लिए राष्ट्रीय महिला कोष, नाबार्ड तथा सिडवी इत्यादि से ऋण/अनुदान प्राप्त करना।

20. आधुनिक शिक्षा सम्बन्धित रोजगार कार्यक्रम आज के आधुनिकतम विषय अंतरिक्ष विज्ञान, कम्प्यूटर और साफ्टवेयर टेकनोलाजी, मल्टीमीडिया, फिल्म एवं टीवी टेक्नोलाजी, डिजाइन पत्रकारिता खेल कूद, व्यक्तित्व विकास , कृषि एवं बायो तकनीकी, शहरी एवं ग्रामीण आवास , परिवहन खाद्य उत्पादन में शिल्पकारिता, भूगर्भ विज्ञान, ज्वेलरी

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]

कम्यूनिकेशन, तथा सौर उर्जा एवं अन्य उर्जा के नये स्रोतों का विकास आदि विषयों की शिक्षा प्रशिक्षण एवं शोध कार्य करने हेतु विद्यालय स्थापित करना संचालन करना एवं जन साधारण में इसके प्रति जागरूकता पैदा करना। इलेक्ट्रानिक , कम्प्यूटर, साफ्टवेयर आदि की पार्क की स्थापना एवं उसका संचालन करना। उपरोक्त क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न योजनाओं को बनाना एवं क्रियान्वयन करना एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रमाण पत्र जारी करना।

21. बेरोजगार/शिक्षित बेरोजगार/ व्यक्तियों को लघु ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु प्रशिक्षित करना एवं उद्योग की स्थापना हेतु सहयोग करना।समाज के असहाय निर्धन बेरोजगार महिलाओं व पुरुषों को रोजगार एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयास करना एवं इससे सम्बन्धित योजनायें कार्यान्वित करना।

22. गांवो से शहर की ओर पलायन समस्या एवं निदान, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या एवं निदान, कृषि क्षेत्र की समस्या एवं निदान, जल संसाधनों से जुड़ी समस्याएं एवं निदाम, सिचाई संसाधनों में कृषकों की भागीदारी ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की समस्याएं एवं निदान, पंचायत राज व्यवस्था में सुधार इत्यादि पर विचार गोष्ठियों और सेमीनार आदि का आयोजन एवं केन्द्रो की स्थापना।

23. जैव विविधता को संरक्षण एवं बढ़ावा देना जन जन तक पहुँचाने के लिए सेमीनार एवं गोष्ठी का संचालन करना। सड़क परिवहन से सम्बन्धित जनहित में प्रचार-प्रसार एवं संचालन करना। जैविक खाद के उपयोग, प्रचार प्रसार तथा किसानों को इसकी उपयोगित्ता के बारे में सभी प्रकार के प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित विभिनन प्रकार की योजनाएं संचालित करना।

24. महिलाओं को विभिन्न रोजगार परक प्रशिक्षण देना, महिलाओं को निःशुल्क परिवार नियोजन, शिशु देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार ~~आर्थिक~~ नियोजन आदि से सम्बन्धित शिक्षण व प्रशिक्षण देना और महिलाओं के लिए ग्रामोद्योगों की स्थापना व सहायता प्रदान करना। महिलाओं से सम्बन्धित समस्याओं जैसे बाल विवाह, दहेज, तलाक, विधवा जीवन यापन, महिला रोजगार इत्यादि के सम्बन्ध में कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। महिला जागरूकता शिविर, टीकाकरण, पालनाघर, बाल विकास सेवा, पुष्टाहार, अनौपचारिक शिक्षा, आंगनवाड़ी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, निराश्रित महिला आवासीय केन्द्र तथा इसी प्रकार महिलाओं एवं बच्चों के विकास की अन्य योजनाओं का भी क्रियान्वयन करना। महिलाओं एवं बच्चो के हितों पर सेमिनार, कार्यशालायें, प्रशिक्षण शिविर, प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना।

25. ग्राम्य विकास विशेषकर भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों ऊसर भूमि सुधार एवं परती भूमि, अनुसूचित, दुर्गम, पिछड़े, बाढ़ग्रस्त, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए [illegible] कार्यों को प्रोत्साहित करना एवं जागरूकता में वृद्धि करना। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों को प्राथमिकता देते हुए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा विकास की विभिन्न योजनाओं [illegible] एकीकृत ग्राम्य विकास, ग्राम्य तकनीकी विकास, [illegible] पेयजल आपूर्ति, ग्राम्य स्वच्छता विकास कार्यक्रम, ग्रामीण औद्योगीकरण, [illegible] अनौपचारिक शिक्षा जैसी योजनाएं बंजर भूमि का विकास, अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण कार्यक्रमों, बंधुआ मजदूरों का [illegible] पुनर्वास, बाल श्रमिकों का प्रशिक्षण एवं पुनर्वास तथा शिक्षा एवं [illegible] शौचालय, निःशुल्क स्वास्थ्य एवं पाठशाला भवन, व्यायामशालाओं, पुस्तकालयों [illegible] योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विकास, इनका क्रियान्वयन, सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन [illegible] तथा उनका संचालन करना।

26. मानव समुदाय विशेषकर समाज के दलित एवं निर्बल वर्ग के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण सम्बन्धी परियोजनाओं का विकास, उनसे सम्बन्धित कार्यक्रमों [illegible] क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना। इसी प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति में [illegible] संगठनों, एजेंसियों, केन्द्र राज्य तथा स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं से सहयोग [illegible]

27. पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रमों का संचालन

कार्य क्षेत्र में पर्यावरण एवं प्रदूषण हेतु वृहत वृक्षारोपण करना, तालाबों, पोखरों एवं नदियों की सफाई तथा शुद्ध पेय जल/जल संरक्षण की व्यवस्था करना एवं उसमें सहयोग प्रदान करना तथा सामाजिक वानिकी हेतु परती भूमि प्राप्त करना तथा ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रमों को संचालित करना तथा सहायता एवं अनुदान प्राप्त करना एवं उनका क्रियान्वयन करना एवं जन जागरण अभियान, सुलभ शौचालय आदि का प्रचार प्रसार करना।

28. निर्बल एवं दलित वर्ग के लोगो को प्राथमिकता देते हुए कामकाजी महिलाओं एवं बच्चों के लिए हॉस्टल, निराश्रित, असहाय, विधवा महिलाओं के लिए पुनर्वास केन्द्र के रूप में आवासीय व्यवस्था में सहयोग करना। समाज के उपेक्षित तबके जैसे– कुष्टरोगियों, मंदबुद्धि, वेश्याओं, भिखारियों, सजा काट चुके मुक्त बंदियों, बाल अपराधियों आदि के कल्याण, प्रशिक्षण, निःशुल्क चिकित्सा एवं पुनर्वास सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित करना। प्रमस्तिष्कीय अंगजात और मानसिक रुप से दुर्बल व्यक्तियों के लिये योजनायें, विकलांग बच्चों के विशेष प्रकार के विद्यालयों की योजना बनाना।

29. समाज के निराश्रित वृद्धों, महिलाओं एवं बच्चों विशेषयता निर्बल एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित लोगों के लिए 'डे केयर सेंटर', पुस्तकालय वाचनालय, कल्याण केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र पार्क इत्यादि की स्थापना प्रबन्ध एवं संचालन करना।

30. जनसाधारण में धूम्रपान, ड्रग एडिगशन आदि से बचने के लिए प्रभावी जागरूकता फैलाना तथा इनके निषेध को प्रभावी बनाना। जनसाधरण में इनकेकरण होने वाले नुकसान का आंकलन एवं सर्वेक्षण्या करना तथ जनहित में इनका प्रकाशन करना, नशे के लत छुड़ाने के लिए चिकित्सा केन्द्रो एवं अस्पतालों की निःशुल्क स्थापना करना तथ नशे को छोड़ चुके लोगों के पुर्नवास की व्यवस्था करना तथ ऐसे आवासीय केन्द्रों की व्यवस्था करना तथा ऐसे आवासीय केन्द्रो की व्यवस्था करना जहॉ इनकी उचित देखभाल हो सके। इस सम्बन्ध में सेमिनार, प्रदर्शनी, कार्यशाला आदि का आयोजन करना।

31. निःशुल्क स्वास्थ्य एवं सफाई की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना तथा संचालन तथा निःशुल्क परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण, टीकाकरण, स्वास्थ्य रक्षा आदि कार्यक्रमों का संचालन तथा इस सम्बन्ध में जन साधारण में जागरूकता फैलाना, गम्भीर बीमारियों जैसे एड्स, कैंसर, चेचक, पोलियों, निर्जलन, मलेरिया, प्लेग के उन्मूलन हेतु राज्य व केन्द्र सरकार तथा मान्यता प्राप्त चिकित्सकों की सहायता से करना। इनसे सम्बन्धित स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का संचालन, रक्तदान, नेत्रदान शिविरों का निःशुल्क आयोजन प्रशिक्षित डाक्टरों की देखरेख में करना।

32. जनसाधारण में प्रचलित भारतीय सांस्कृतिक विरासत को मूल स्वरूप में सुरक्षित और संवर्धित रखने और उनके प्रसार के उपाय करना। इस प्रकार के विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे– नाटक, नौटंकी, शास्त्रीय संगीत, कवि सम्मेलन, मुशायरा कठपुतली थियेटर, गज़ल, गीत आदि को प्रकाश करने के लिए सभी आवश्यक कार्यो के करना।

33. राष्ट्रीय संकट, भूकम्प, बाढ़ सूखा, मार्ग दुर्घटना, गृहयुद्ध इत्यादि आपातकालीन परिस्थितयों के लिए स्वयं सेवकों को तैयार करना। उन्हें प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के द्वारा इन परिस्थितियों में त्वरित सहायता करने में सक्षम बनाना। किसी भी परिस्थितियों में सरकार का सहयोग करना अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं और स्वैच्छिक आधार पर सेवाएं उपलब्ध कराना। सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के आधार पर जनहित में सेवा कार्य करना, आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

समक्ष सहायक रजिस्ट्रार, फर्म, सोसाइटी चिट्स इलाहाबाद 01AB 590387

शपथकर्ती ज्योति पत्नी अभिजीत कुमार, नया बाजार, भरवारी, तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी

मैं शपथकर्ती शपथपूर्वक बयान करती हूँ –

1. यह कि शपथकर्ती ज्योति पत्नी अभिजीत कुमार संस्था 'करुणा वेलफेयर एण्ड डवलपमेन्ट सोसाइटी, ग्राम सिधिया, पो0 भरवारी जनपद कौशाम्बी की प्रबन्धकारिणी समिति का निर्विवादित निदेशक है।
2. यह कि शपथकर्ती संस्था के निदेशक पद पर साधारण सभा के बहुमत से चयनित है।
3. यह कि संस्था की प्रबन्ध समिति किसी भी कार्यालय/न्यायालय में विवादित नहीं है।
4. यह कि संस्था को किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
5. यह कि संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का एक कार्यकाल पूर्ण हो चुका हैं।
6. यह कि संस्था की साधारण सभा की बैठक में नयी प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव हो चुका है।
7. यह कि संस्था को अभी तक किसी भी प्रकार का दान, अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।
8. यह कि संस्था समाज के सभी वर्गों के उत्थान के प्रति दृढ़संकल्पित है और निरन्तर अपने लक्ष्यों के अनुरूप कार्य कर रही है।

सत्यापन

मैं शपथकर्ती उपरोक्त बहलफ तसदीक करती हूँ कि शपथपत्र की धारा 1 लगायत 8 मेरी निजी व विश्वास में पूर्ण व सत्य है।

दिनांक

हस्ताक्षर शपथकर्ती

ज्योति

संस्था— करूणा वेलफेयर एण्ड डेवलपमेन्ट ग्राम सिंधिया, पो0 भरवारी, कौशाम्बी

प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष 2011 – 2012

	नाम, पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
65	श्री घनश्याम दास पुत्र स्व0 जगन्नाथ प्रसाद	ग्राम सिंधिया, पो0 भरवारी कौशाम्बी	अध्यक्ष	समाजसेवा
31	श्रीमती रीतू केसरवानी पत्नी श्री सन्तोष कुमार	ग्राम सिंधिया, पो0 भरवारी कौशाम्बी	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
30	ज्योति पत्नी अभिजीत कुमार	नया बाजार, पो0 भरवारी कौशाम्बी	निदेशक	समाजसेवा
35	श्री नीरज कुमार पुत्र श्री घनश्याम दास	शाहगंज, भरवारी कौशाम्बी	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
32	श्रीतमी कामिनी देवी पत्नी स्व0 आनन्द कुमार	नया बाजार, भरवारी कौशाम्बी	लेखा निरीक्षक	समाजसेवा
48	श्री अन्नू लाल प्रजापति पुत्र स्व0 राम सजीवन	ग्राम भटपुरवा, पो0 भरवारी कौशाम्बी	सदस्य	" "
45	श्री राजीव अरोरा पुत्र श्री ओम प्रकाश अरोरा	जे0/10 चौपटिया कालोनी लखनऊ	सदस्य	" "
38	डॉ0 शालिनी सिंह पत्नी श्री संजय सिंह	जे0–301 अशोक विहार अपार्टमेंट अशोक नगर, इलाहाबाद	सदस्य	" "
50	श्री तीरथ प्रजापति पुत्र स्व0 [illegible] प्रजापति	ग्राम सिंधिया, पो0 भरवारी कौशाम्बी	सदस्य	" "
53	श्री अनूप कुमार गुप्ता पुत्र श्री ओ0 पी0 गुप्ता	बाबाजी का बाग, कल्याण देवी इलाहाबाद	सदस्य	" "
52	श्री अजय मिश्रा पुत्र श्री [illegible] मिश्रा	558 / ख / 325 गीता पल्ली, आलमबाग लखनऊ	सदस्य	" "

Jyoti

: : नियमावली : :

1. संस्था का नाम : करुणा वेलफेयर एण्ड डेवलपमेंट सोसाइटी, (KARUNA)
2. संस्था का पता : ग्रा0–सिंधिया पो0–भरवारी कौशाम्बी
3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष
4. संस्था का उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :–

(अ) आजीवन सदस्य :

संस्था को 1001/रू0 नगद या इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्रदान करने वालों को आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

(ब) सामान्य सदस्य :

संस्था को प्रतिवर्ष अप्रैल माह में 21/–रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करने वालो को संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

6. सदस्यता की समाप्ति :

1. मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर ।
2. किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।
3. लगातार तीन बैठकों में बिना स्पष्ट कारण अनुपस्थिति रहने पर।
4. त्याग पत्र देने पर तथा स्वीकार होने पर।
5. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने, पर।
6. सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।

7. संस्था के अंग : संस्था के दो अंग होगें,

(अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

8. साधारण सभा :

(अ) गठन :

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

(ब) बैठकें :

साधारण सभा की सामान्य बैठके वर्ष में एक व विशेष बैठकों को आवश्यकता अनुसार कभी भी बुलायी जा सकती है।

(स) सूचना अवधि :

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति :

साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों का कोरम 2/3 होगा, स्थगित बैठकों में कोरम प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एजेंडा के विषय पूर्ववत ही रहेगें।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

विशेष वार्षिक अधिवेशन सत्र समाप्ति पर व तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा तय की जायेगी।

(र) साधारण सभा के कर्तव्य :

(1) पाँच वर्ष के लिए प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।

घन श्याम दास
Ritu
Amod
Niraj
कामिनी

लिपि

(2) वार्षिक आय व्यय–बजट का पारित करना।

(3) नियमों व विनियमों में 3/5 के बहुमत से संशोधन कार्यवाही करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति :

(अ) गठन :

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा किया जाएगा। जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक निदेशक,एक कोषाध्यक्ष, एक लेखा निरीक्षक तथा 6 सदस्य इस प्रकार कुल 11 व्यक्तियों की प्रबन्धकारिणी समिति होगी।

(ब) बैठके :

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकें वर्ष में दो व विशेष बैठको को आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाया जा सकता है।

(स) सूचना अवधि :

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व में सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

(ट) गणपूर्ति :

साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों का कोरम 2/3 होगा स्थगित बैठकों में कोरम प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एजेन्डा के विषय पूर्ववत रहेगें।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति में यदि किसी प्रकार का स्थान रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से शेष कार्य के लिये कर ली जाएगी।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :

(1) संस्था का प्रबन्ध कार्य करना।

(2) वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार कर लागू करना।

(3) वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करना।

(4) संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण रखना।

(5) उप समितियां के उप नियमों को बनाना व पदाधिकारियों को नियुक्त करना।

(ल) कार्यकाल :

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा ।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

(अ) अध्यक्ष :

(1) सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।

(2) समान मत होने पर अपना निर्णायक मत का प्रयोग करना।

(3 बैठकों की विधियों का अनुमोदन करना।

(4) त्याग पत्रों को स्वीकार करना।

(ब) उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्यों को सम्पादित करना।

(स) निदेशक :

(1) संस्था की ओर से समस्त बिलों, वाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

(2) संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करना।

Ritu

कामिनी

सत्य प्रतिलिपि

उपायुक्त निबन्धक

... सोसाइटीज तथा चिट्स

(3) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण, अनुदान, चन्दा, चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

(4) कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन,वेतन वृद्धि, वेतन वितरण एवं पदच्युत करना।

(5) संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण तथा अभिलेखों को सुरक्षित रखना।

(द) कोषाध्यक्षः

(1) वार्षिक आय व्यय का विवरण तैयार करना।

(2) आय–व्यय सम्बन्धी अभिलेखो को लिपिबद्ध करना।

(3) सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना।

(य) लेखा निरीक्षक :

1. संस्था के आय व्यय विवरण को आडीटर द्वारा आडिट कराना।
2. आय–व्यय विवरण सम्बन्धि अभिलेखो को तैयार करने में कोषाध्यक्ष की मदद करना।

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों व विनियमों में, संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से किया जायेगा।

12. संस्था का कोष :

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में खाता खोलकर जमा होगा जिसका संचालन निदेशक के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

13. संस्था लेखा परीक्षण :

संस्था के समस्त आय–व्यय को लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर संस्था द्वारा नियुक्त किसी योग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :

संस्था की अदालती कार्यवाही का संचालन संस्था के निदेशक द्वारा किया जाएगा।

15. संस्था के अभिलेख : 1. सदस्यता रजिस्टर, 2. कार्यवाही रजिस्टर, 3.एजेण्डा रजिस्टर, 4.कैशबुक व लेजर

16. विघटन :

संस्था के विघटन और विघटित किये गये सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा, 13 एवं 14 के अन्तर्गत ही की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनाँक 15.10.03

हस्ताक्षर